Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 91: Liability of guardians, trustees, etc.

Where the business in respect of which any tax, interest or penalty is payable under this Act is carried on by any guardian, trustee or agent of a minor or other incapacitated person on behalf of and for the benefit of such minor or other incapacitated person, the tax, interest or penalty shall be levied upon and recoverable from such guardian, trustee or agent in like manner and to the same extent as it would be determined and recoverable from any such minor or other incapacitated person, as if he were a major or capacitated person and as if he were conducting the business himself, and all the provisions of this Act or the rules made thereunder shall apply accordingly.

धारा 91 : संरक्षकों, न्यासियों आदि का दायित्व

जहां कोई कारबार, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई कर, ब्याज या शास्ति संदेय है, किसी अल्पवय या किसी अन्य अक्षम व्यक्ति के निमित्त और ऐसे अल्पवय या अन्य अक्षम व्यक्ति के फायदे के लिए किसी संरक्षक, न्यासी या अभिकर्ता द्वारा चलाया जाता है, वहां ऐसे संरक्षक या न्यासी या संरक्षक से कर, ब्याज या शास्ति उसी रूप में और उसी सीमा तक उद्गृहीत की जाएगी और वसूली जाएगी जैसे कि उसका ऐसे अल्पवय या अन्य अक्षम व्यक्ति के लिए अवधारण किया जाता है और वसूली की जाती, यदि वह वयस्क या समक्ष व्यक्ति होता और जैसे कि वह स्वयं कारबार का संचालन कर रहा था तथा इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के सभी उपबंध तद्नुसार लागू होंगे।